

वादी निबंधित केवाला द्वारा खरीदगी जमीन पर प्रतिवादी के द्वारा दखल कब्जा दे दिया गया तथा अंचलाधिकारी कु० स्थान पूर्वी से सोमोटो दाखिल खारिज वाद संख्या 207/12-13 के आदेशानुसार जमाबंदी संख्या 214 से 1-15-0 रकवा खारिज कर वादी के नाम से नया जमाबंदी संख्या 1080 कायम कराकर राजस्व रसीद वर्ष 2012-13 तक निर्गत करबाये हुए है। प्रश्नगतजमीन का हाल सर्वे खतियान भी विक्रेता रामेश्वर सिंह पिता स्व० हेमेश्वर सिंह के नाम से हाल खतियान में खाता दर्ज किया गया है इस जमीन से प्रतिवादी को कोई मतलब एवं सरोकार नहीं है। प्रश्नगत भूमि का हाल खतियान का प्रकाशन वर्ष 1986 ई० में हुआ था, जबकि वादी का निबंधित केवाला 17-5-1995 ई० का है इसलिए वादी समय सीमा के अन्तर्गत सर्वे न्यायालय में वाद पत्र दायर नहीं कर सका पुनः प्रतिवादी द्वारा जमीन पर विवाद करने के कारण हुजुर के न्यायालय में भूमि विवाद निराकरण के तहत वाद पत्र दायर करना पड़ा। प्रश्नगत जमीन का हाल खतियान विक्रेता के नाम से बन चुका है लेकिन हाल खतियान में हाल खेसरा संख्या 920 का रकवा 12 एकड़ 32 डि० है जिसमें भिन्न क्रेता लोगों के नाम से जमीन विक्रीनामा करने के कारण एवं वादी के दखल कब्जा को अपना दिखाकर उसपर अन्य लोगों से गलतढंग से रकम उगाही करने के कारण स्थल पर विवाद उत्पन्न करा दिये हैं। प्रश्नगत जमीन से संबंधित वादी का निबंधित केवाला हाल सर्वे खतियान, राजस्व रसीद, इत्यादि सारे कागजी प्रमाण दिये है जो सही वो सत्य है।

वाद की करवाई के दौरान दोनों पक्षों को विधिवत सुचना निर्गत किया गया प्रतिवादी लगातार अनुपस्थित रहे अंततः एक पक्षीय सुनवाई की गयी। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना अभिलेख एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया प्रथम पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि पर केवाला के आधार पर दावा किया जा रहा है वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी द्वारा वादी को किये गए 1995 के केवाला की प्रति, वादी का अद्यतन लगान रसीद एवं 1986 में प्रकाशित हाल खतियान की प्रति जो प्रतिवादी के नाम है संलग्न की गयी है। उक्त कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि हाल खतियान प्रतिवादी के नाम दर्ज है उक्त हाल

खतियान प्रतिवादी के नाम दर्ज है परन्तु वादी 1995 में निबंधित केवाला के माध्यम से उक्त भूमि प्रतिवादी से खरीद की गयी एवं तत्पश्चात जमाबंदी कायम कराकर लगान रसीद निर्गत है इस प्रकार प्रश्नगत भूमि पर वादी का दावा वैध प्रतीत होता है अतः वाद को स्वीकार करते हुए प्रश्नगत भूमि पर वादी के दावा को संपुष्ट किया जाता है।

उपर्युक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

92
15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

42
15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल